



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

कायालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड देहरादून

Phone & Fax: - 0135-2530467, 2530431

ईमेल / फ़ैक्स

पत्रांक : 1332/10 अधीन/11/12

कायालय शेष

दिनांक : 25/9/13

उत्तराखण्ड हेतु गठित किए गए केन्द्रीय शैक्ष्यल ऑफ़ स्टैन्डर्ड में MORTH के SOR में पूर्णों के निर्माण कार्यों में सम्बन्धित मर्चें हेतु वर्तमान में 20% overhead charges लिए गए हैं, जबकि MORTH के standard data book में पूर्णों के निर्माण कार्यों हेतु निम्न प्रकार overheads लिए गए हैं:-

- 1- Major Bridges including State of Art Bridges - 25%
- 2- Minor Bridges included in road packages and Minor Bridges - 20%
- 3- Rehabilitation of bridges - 30%

अतः MORTH के Standard data book के आधार पर मरिबु में उत्तराखण्ड के केन्द्रीय SOR, MORTH में भी पूर्णों के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार ही Overhead charges लिए जाएं।

केन्द्रीय SOR, की website में MORTH में पूर्णों के निर्माण सम्बन्धित मर्चें (Foundation, Substructure and Superstructure के Chapters में) में overheads पूर्व की भांति 20% ही रहेंगे। परन्तु यदि कार्य उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 3 के अन्तर्गत है, तो आगामन गठित करते समय दर विधेयण में 20% के स्थान पर क्रमशः 25% एवं 30% overheads का प्राविधान किया जाए।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, विल उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता सेवा, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, देहरादून।
7. प्रबंध निदेशक, पंचजन निगम, देहरादून।
8. प्रबंध निदेशक, यू०ए०आइ०डी०सी०, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग/पी०एम०जी०ए०एस०वाइ०/ए०डी०बी० लॉनिओ, देहरादून।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिकारी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अधीक्षायी अभियन्ता डी०ए०सी० विल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर I, II/अधीक्षायी अभियन्ता I, II, III, IV, V, VI कायालय प्रमुख अभियन्ता, लॉनिओ देहरादून।
13. कनिष्ठ अभियन्ता (ग्रो), कायालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग देहरादून

13/9

11/12/2013